राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 85/2014/जोधपुर

सहा. वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–तृतीय,प्रतिकरापवचंन,जोधपुर अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स तमिलनाडु कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड
जोधपुर प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित
श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांक 10.09.2015

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय,प्रतिकरापवचंन,जोधपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) ने उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा रिमाण्ड केस संख्या 65 में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2013 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार थे कि दिनांक 19.05.1996 को वाहन संख्या संख्या केएल–7ए– 3623 की जॉच किए जाने पर वाहन में 600 टीन देशी घी कृष्णागिरी, तमिलनाडू से जोधपुर लाया जाना पाया गया। वहनित माल के संबंध में बिल्टी, बिल, डिलीवरी नोट तथा वहनित माल राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) के तहत अधिसूचित माल होने से अनिवार्य घोषणा प्रपत्र एसटी 18ए क्रमांक 555307 संलग्न पाया गया। परन्तु प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र एसटी 18ए पूरी तरह खाली होने से अधिनियम धारा 78(2) का उल्लंघन होने कारण अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति 2,10,600/– आरोपित की गयी, जिससे व्यस्थित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12.02.1999 को यह निर्णय किया गया कि अपीलार्थी द्वारा इससे पूर्व भी लगातार घोषणा प्रपत्र एसटी 18ए खाली होते हुए उस माल की प्रविष्टियॉ लेखा पुस्तकों में की गयी थी एवं उनके द्वारा कर नियमित रूप से जमा करवाया जा रहा था तथ्यात्मक रूप से यह बताया गया था कि परिवहन के समय जो घोषणा प्रपत्र 18ए राज्य सरकार द्वारा प्रिण्ट कर जारी किए जाते थे वे केवल हिन्दी भाषा में होने से तमिलनाडू के निर्यातक द्वारा बिना भरे ही भेजे जाते थे परन्तु उनका नम्बर बिल एवं बिल्टी में दर्ज कर दिया था एवं उस माल का इन्द्राज प्रत्यर्थी द्वारा नियमित रूप से अपनली लेखा पुस्तको में किया जाता था। इस तरह प्रत्यर्थी द्वारा नियमित रूप से केवल भाषा की जानकारी के अभाव में तमिलनाडु से आयातित माल के साथ घोषणा प्रपत्र 18ए खाली ही भिजवाया जाता था। इन परिस्थितियों में अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश अपास्त किया गया ।

अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.1999 के विरूद्ध माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपील संख्या 915/99/जोधपुर में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा भी अपीलीय आदेश को यथावत रखा गया एवं अपीलार्थी को दो माह में पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए, जिसकी पालना में दिनांक 11.06.2002 को 0085778, जो सहायक आयुक्त विशष वृत प्रथम जोधपुर द्वारा दिनांक 13.09.2001 को जारी किया गया था वह हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों ही भाषाओ में प्रिण्टेड था, प्रस्तुत कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिविजन करने पर को प्रकरण को अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में अपीलीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2013 पारित करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2013 से असन्तुष्ट होकर यह अपील कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है,जो विधिक नहीं है, क्योंकि एस टी 18 पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रस्तुत नहीं किया गया,जिससे करापवंचन की दोषी मानसिकता प्रमाणित होती थी, इस कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है। उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं है इसलिए प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात एकपक्षीय बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जा रहा है।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया। प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि जो घोषणा पत्र तत्समय प्रचलित थे एवं राज्य सरकार द्वारा प्रिण्ट करवाये गये थे वे केवल हिन्हीं में थे,इस कारण दक्षिण भाषी इसे भरने में असमर्थ थे,इस कारण उसे अन्य दस्तावेज यथा बिल,बिल्टी एवं माल के डिलीवरी नोटिस के साथ अनिवार्य घोषणा पत्र माल के परिवहन के दौरान संलग्न करते थे। हस्तगत प्रकरण में माल का आयात तमिलनाडु से हो रहा था और तमिलनाडु की फर्म राजस्थान में पंजीकृत थी। यह यह भी तथ्य उल्लेखनीय है है कि आयात किये जा रहे माल का इन्द्राज नियमित लेखा पुस्तकों में नियमित रूप से किया

गया है। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पत्रावली के पेज इनवाइस संख्या 000995 दिनांक 16.05.96, पेज 9 पर डिलीवरी नोट पर उस रिक्त घोषणा पत्र संख्या 574701 का अंकन किया हुआ है,जिससे स्पष्ट होता है कि हिन्दी भाषा के ज्ञान के अभाव में उक्त घोषणा के कालम्स की पूर्ति नहीं की गयी है। घोषणा पत्र की संख्या वक्त जांच प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो में अंकित होने से घोषणा पत्र केवल तकनीकी रूप से भाषा के ज्ञान के अभाव में नहीं भरे जाने की पुष्टि होती है।

अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से उजागर होता है कि अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में उपरोक्त विवेचित तथ्यों का अपीलाधीन आदेश में समावेश करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। उपरोक्त विवेचित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह पीठ अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2013 में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं समझती है। फलतः अपीलाधीन आदेश की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य